उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-95/2017/3431/दो-2-2017-22(36)/82
लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के कार्यालय से सम्बन्धित कार्यो के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु दिनांक 01.9.2017 से 03 माह के लिए अर्थात दिनांक 30.11.2017 तक विशेष कार्याधिकारी/पदेन विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन का 01 नि:संवर्गीय अस्थायी पद सृजित करते हुए उक्त पद पर श्री आर0डी0पालीवाल को दिनांक 01.9.2017 से 03 माह के लिए अर्थात दिनांक 30.11.2017 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्योजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) श्री आर0डी0पालीवाल को अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) इस अवधि में श्री आर0डी0पालीवाल को वह वेतन अनुमन्य होगा जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्व पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा इस पद के वेतनमान के अधिकतम, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न होगा। इस अवधि में उन्हें शुद्व वेतन तथा शुद्व पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। इस अवधि में पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(3) श्री आर0डी0पालीवाल को उक्त अवधि में वित्त नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम 157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भॉति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) उक्त अवधि में श्री आर0डी0पालीवाल को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्व पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे, जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16ए में प्राविधान है, अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

(6) श्री आर0डी0पालीवाल को उक्त अवधि में अस्थायी तदर्थ पेंशन की व़द्धि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।

(7) उक्त नि:संवर्गीय पद की प्रास्थिति विशेष सचिव पद के समकक्ष होगी और श्री आर0डी0 पालीवाल को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य थी।

(8) उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2052-सचिवालय सामान्य सेवाऐं-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03 सचिवालय" के अधीन सुसंगत मानक मदों के अधीन डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-623/दस-2017, दि0-01 सितम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0शासन।
4; प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0शासन।
6. इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0शासन।

7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ।
9. नियुक्ति विभाग के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/12 एवं वित्त (सामान्य) अनु0-3
11. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7/8/9(विविध)
12. सम्बन्धित अधिकारी।
13. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।